229

[2019] 11 एस. सी. आर 1

[2019] 11 एस. सी. आर 229 ए

ए.

सैमसुल हक़

वी.

असम का राज्य

(2009 की आपराधिक अपील (आईडी1) 26 अगस्त, 2019

बी.

[संजय किशन कौल और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:s.302-अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित-मृतक उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक चाय की दुकान पर बैठा था, जब पहले छह आरोपी अंदर आए और नं.2 और 3 ने अचानक मृतक पर पिस्तौल से गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि अन्य अभियुक्तों ने उसे छुरा घोंपना और खंजर, तलवार आदि से मारना शुरू कर दिया और यह घटना आरोपी संख्या 3 के उकसावे पर हुई।7, 8 और 9-मृतक के बेटे (पीडब्लू-3) ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह अन्य गवाहों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था और उसने आरोपी का विरोध करने की कोशिश की-उन्हें पिस्तौल से धमकी दी गई और अपनी जान बचाने के लिए वे भाग गए-निचली अदालत ने पाया कि आरोपी नं।1 जिसकी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, वह मुख्य आरोपी था-आरोपी एन. ओ. एस. द्वारा तत्काल अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध 2,3 और 9-आयोजितःपीडब्लू-1, घटना के समय मौजूद एकमात्र स्वतंत्र गवाह ने आरोपी नंबर 9 को फंसाया नहीं और न ही उसे कोई भूमिका सौंपी-उसके बयान के अनुसार, उसने उसे साइट पर भी नहीं देखा-जिस तरह से अदालत ने आरोपी नंबर 9 के सामने मामला रखा, और एस के तहत उसका बयान दर्ज किया।313 गवाही में विसंगतियों ने अभियोजन पक्ष के मामले में आरोपी नंबर 9 की किसी भी भूमिका के बारे में संदेह पैदा कर दिया-इस प्रकार, अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ उचित संदेह से परे मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं था-इसलिए, आरोपी नंबर 9 बरी होने का हकदार है-आरोपी नंबर 1 और 3 के संबंध में, निचली अदालत के आदेश से पता चला है कि इन दोनों अभियुक्तों को बरी करने में जो बात भारी पड़ी है, वह यह है कि मृतक के शरीर पर पोस्टमॉर्टम परीक्षा करने वाले डॉक्टर (पीडब्ल्यू-5) की गवाही में, नुकीली नुकीली वस्तुओं के कारण कई चोटें पाई गईं-प्रतिपरीक्षा में, पीडब्ल्यू-5 ने विशेष रूप से कहा कि कोई भी चोट नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

229

इसका उपयोग केवल व्यक्तियों को डराने के लिए किया गया-पीडब्लू-6 की गवाही कि उसने बंदूक चलाते हुए देखा, लेकिन यह पता नहीं लगा सका कि मृतक को गोली लगी है या नहीं, लेकिन, चश्मदीद गवाहों की समग्र गवाही के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष और गवाहों द्वारा दी गई कहानी उच्च न्यायालय द्वारा विश्वसनीय पाई गई-हालाँकि, यह कहानी निचली अदालत द्वारा नोट किए गए उक्त पहलुओं से संबंधित नहीं थी, यानी, कोई गोली की चोट नहीं, हथियार बरामद नहीं किया जा रहा था, घटना के स्थान पर कोई गोली या गोली के निशान नहीं पाए गए थे और गवाहों की गवाही में विसंगतियाँ-निचली अदालत ने सही कहा कि यह आरोपी नंबर 1 था जो मुख्य आरोपी था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी -313 पी. डब्ल्यू.-3, पी. डब्ल्यू.-4 और पी. डब्ल्यू.-6 सभी की गवाही उसके सामने रखी गई थी, लेकिन उक्त आरोपी ने घटना स्थल से अनुपस्थित होने का दावा किया-आरोपी संख्या 3 के मामले में, एक बार फिर, तीनों चश्मदीद गवाहों की गवाही उसे दी गई थी, लेकिन उसे सौंपी जाने वाली भूमिका खंजर से मारा गया था, न कि आरोपी की भूमिका जैसा कि एफ. आई. आर. में बताया गया था-बाद की गवाही, हालांकि, एफ. आई. आर. में सौंपी गई भूमिका से अलग भूमिका निर्धारित करने की मांग करती है, जिससे एक विसंगति आती है-अभियोजन पक्ष इन दो अभियुक्तों-आरोपी Nos.2 और 3 के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं था।

बी.

सी.

डी.

ई.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** पीडब्लू**-3** ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटना आरोपी **Nos.7** और **8** के साथ आरोपी नंबर **9** के इशारे पर हुई थी।हालाँकि**,** उनके बयान में कहा गया था कि इन व्यक्तियों ने अन्य अभियुक्तों को मृतक को पकड़ने के लिए कहा था।यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।इसी तरह**,** इन तीन व्यक्तियों ने जो कहा**,** उसके बीच कुछ अंतर था**,** जैसा कि पीडब्लू**-4** और पीडब्लू**-6** की गवाही से भी उपलब्ध है।हालांकि**,** महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पीडब्लू**-1,** एकमात्र स्वतंत्र गवाह**,** ने आरोपी नंबर **9** को फंसाया भी नहीं**,** उसे कोई भूमिका भी नहीं सौंपी।डी**.** डब्ल्यू**.-1,** जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था**,** हालांकि कहा गया था कि वह घटना स्थल पर मौजूद था**,** बचाव पक्ष द्वारा जांच की गई और मुख्य आरोपी **(**आरोपी संख्या **1)** और अन्य के खिलाफ गवाही दी गई**,** जबकि आरोपी संख्या **9** को उपस्थिति का तथ्य भी नहीं सौंपा गया।यहां तक कि जब अभियोजन पक्ष ने पार करने की मांग की**-**ए

एफ.

जी.

एच.

231

समसल हक बनाम असम राज्य ए

कथित गवाह की जाँच करते हुए**,** अभियोजन पक्ष के मामले को इस तरह रखा गया जैसे कि केवल आरोपी संख्या **7** ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक पर हमला करने का आदेश दिया हो।यदि अभियुक्त संख्या **9** ने कोई भूमिका निभाई होती**,** तो अभियोजन पक्ष द्वारा इसे तार्किक रूप से डी**.** डब्ल्यू**.-1** के समक्ष रखा जाता।**[**पारस **19,20] [238-**डी**-**जी**]**

बी.

उड़ीसा राज्य बनाम अर्जुन दास अग्रवाल और अन्र। एयर **1999**

एससी 3229:[1999] 1 पूरक।एस. सी. आर. 442; असरफ अली बनाम असम राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 328:[2008] 10 एस. सी. आर. 1115-पर निर्भर।

1.2 जिस तरह से अदालत ने आरोपी संख्या **9** के समक्ष मामला रखा और **Cr.P.C** की धारा **313** के तहत दर्ज किया गया बयान अनुचित था।दोषारोपण सामग्री अभियुक्त के सामने रखी जानी चाहिए ताकि अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित मौका मिले।यह ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों की मान्यता में है।गवाही में विसंगतियों ने अभियोजन पक्ष के मामले में भी संदेह पैदा किया कि आरोपी संख्या **9** की कोई भूमिका क्या है।अपीलीय अदालत शायद ही निचली अदालत के बरी होने के फैसले को दोषसिद्धि में बदल सकती थी। निचली अदालत ने मृतक के साथ पीडब्लू**-3,** पीडब्लू**-4** और पीडब्लू**-6** के घनिष्ठ संबंधों के

साथ-साथ आरोपी की श्रृंखला और आरोपी नंबर **1** की हत्या पर भी ध्यान दिया, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि आरोपी नंबर **9** को उकसाना, जैसा कि आरोप लगाया गया था, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ था।इस बात का कोई सबूत नहीं था कि घटना के समय आरोपी नंबर **9** कालिया होटल के अंदर या बाहर था।अभियोजन पक्ष अभियुक्त संख्या **9** के खिलाफ मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं था, जो उचित संदेह से बहुत कम था। **[**पैरा **21,22,24,25] [239-**ए-बी**; 240-**डी-एफ**; 241-**ए**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

2.1 अभियुक्त आई**.** डी**. 1** और **3** के संबंध में, निचली अदालत के आदेश से पता चला कि इन दोनों अभियुक्तों को बरी करने में महत्वपूर्ण बात यह थी कि मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर **(**पी**.** डब्ल्यू**.-5)** की गवाही में, नुकीली नुकीली वस्तुओं के कारण कई चोटें पाई गईं।जिरह में पीडब्लू**-5** ने विशेष रूप से कहा कि कोई भी चोट बंदूक की गोली से नहीं लगी थी।इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य ने खंजर और तलवार के उपयोग का सुझाव दिया।लोक अभियोजक की दलील थी कि इन दोनों अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक **(**उन्हें सौंपी गई भूमिका के अनुसार**)** का इस्तेमाल केवल व्यक्तियों को डराने के लिए किया गया होगा।हालांकि, कोई जब्ती नहीं हुई थी

जी.

एच.

हथियारों से।पीडब्लू**-6** ने भी बंदूक की गोलीबारी नहीं देखी, हालांकि उसने बंदूक की गोलियों की आवाज सुनने का दावा किया, हालांकि पीडब्लू**-3** और पीडब्लू**-4** ने कहा कि उन्होंने गोलीबारी देखी।विसंगति यह है कि सभी आरोपी एक साथ खड़े थे।**[**पैरा **28] [241-**सी-ई**]**

2.2 पीडब्लू**-6** की गवाही कि उसने बंदूक चलाते हुए देखा था, लेकिन यह पता नहीं लगा सका कि मृतक को गोली लगी है या नहीं, लेकिन, चश्मदीद गवाहों की समग्र गवाही के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष और गवाहों द्वारा दी गई कहानी को उच्च न्यायालय द्वारा विश्वसनीय पाया गया।हालाँकि, यह कहानी निचली अदालत द्वारा नोट किए गए उक्त पहलुओं से संबंधित नहीं थी, यानी, कोई गोली की चोट नहीं, हथियार बरामद नहीं किया जा रहा था, घटना स्थल पर कोई गोली या गोली के निशान नहीं पाए गए थे और गवाहों

की गवाही में विसंगतियाँ थीं।निचली अदालत ने ठीक ही कहा कि यह आरोपी नंबर **1** था जो मुख्य आरोपी था**,** जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी।जहाँ तक अभियुक्त संख्या **2** के बयान का संबंध है**, Cr.P.C** की धारा **313** के तहत**,** पीडब्लू**-3,** पीडब्लू**-4** और पीडब्लू**-6** सभी की गवाही उसे दी गई है**,** लेकिन उक्त अभियुक्त ने घटना स्थल से अनुपस्थित होने का दावा किया है।जहाँ तक अभियुक्त संख्या **3** का संबंध है**,** एक बार फिर सभी तीन चश्मदीद गवाहों की गवाही उसके सामने रखी गई है**,** लेकिन उसे सौंपी जाने वाली भूमिका को खंजर से मारा गया बताया गया है**,** न कि अभियुक्त पर गोली चलाने की भूमिका जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है। हालाँकि**,** बाद की गवाही ने एफ़**.** आई**.** आर**.** में दी गई भूमिका से अलग भूमिका निर्धारित करने की मांग की**,** जिससे एक विसंगति पैदा हुई।निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण**,** कम से कम**,** एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है**,** हालांकि यह एकमात्र प्रशंसनीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता है या यदि कोई कम संभावित भी कह सकता है।अभियोजन पक्ष इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं था**,** और उन्हें संदेह का लाभ मिलना चाहिए और परिणामस्वरूप उन्हें बरी करना होगा।अभियुक्त संख्या **9** बरी होने का हकदार है।अभियुक्त क्रमशः आई**.** डी**. 1** और **3** संदेह के लाभ के हकदार हैं और परिणामस्वरूप बरी हो जाते हैं।**[**पारस **31-35] [241-H; 242-A-G]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

बाबू बनाम तमिलनाडु राज्य **(2013) 8** एस**.** सी**.** सी**. 60-**आयोजित

अप्रयोज्य।

शरद बर्दीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी **116:[1985] 1** एससीआर **88;** हेट सिंह

भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य ए**.** आई**.** आर **1953** एस**.** सी**.** ए

एच.

233

समसल हक बनाम असम राज्य ए

468 ; सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य **(2013) 12** एससीसी **406:[2013] 3** एस**.** सी**.** आर**. 830;** शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1973) 2 एस. सी. सी. 793:[1974] 1 एससीआर

489 ; सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता **(**डॉ**.)** बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2010) 13 एस. सी. सी. 657:[2010] 15 एस. सी. आर. 452-संदर्भित।

बी.

मामला कानून संदर्भ

[1985] 1 एससीआर **88**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

आकाशवाणी **1953** एस**.** सी**. 468**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

[2013] 3 एससीआर **830**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

सी.

[2010] 15 एससीआर **452**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

(2013) 8 एससीसी **60**

अप्रयोज्य पैरा **15 [1999] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 442** पर निर्भर

पैरा **16**

[2008] 10 एससीआर **1115**

उस पर भरोसा करें

पैरा **22 [1974] 1** एस**.** सी**.** आर**. 489** पैरा **23** को संदर्भित करता है।

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2009 की आपराधिक अपील सं. 1905।

2002 की आपराधिक अपील संख्या 174 में गुवाहाटी में उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.02.2009 के निर्णय और आदेश से

ई.

के साथ

2011 की आपराधिक अपील संख्या 246।

आर. के. दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुचित मोहंती, सुश्री वंदना मोहंती, राहुल प्रताप, बिजन घोष, उज्जवल बनर्जी, असित कुमार रारी, श्रीमती सरला चंद्र, देबोजीत बोरकाकाटी, विवेक सोनकर, मैसर्स कॉरपोरेट लॉ ग्रुप, शुभदीप रॉय, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल**,** जे।

1. घटना 7 बजे 17.3.1997 की हैः00 ए. एम. सुबह में।केरामत अली मारल (मृतक) कालिया होटल के नाम से जानी जाने वाली चाय की दुकान पर चाय पी रहा था।यह आरोप लगाया जाता है कि अब्दुल है, अब्दुल राशिद, इमदादुल इस्लाम, राहुल अमीन, मोफिजुद्दीन इस्लाम और अब्दुल रहीम फारूकी, पहले छह आरोपी होने के नाते दुकान में घुस गए और अचानक एक आरोपी Nos.2 और 3 ने केरामत अली पर पिस्तौल से गोली चला दी, जबकि अन्य आरोपी ने उसे चाकू मारकर और खंजर, तलवारों आदि से हमला करके घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि केरामत अली की मौके पर ही मौत हो गई।केरामत अली के पुत्र, नजरुल इस्लाम (पीडब्लू-3)

जी.

एच.

एफ. आई. आर. दर्ज करते हुए कहा कि वह अन्य गवाहों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया, तो उन्हें पिस्तौल से धमकी दी गई।अपनी जान बचाने के लिए वे घटनास्थल से भाग गए।जहां तक अभियुक्त Nos.7,8 और 9 का संबंध है, यह कहा गया है कि "आगे यह उल्लेख किया जा सकता है कि घटना अभियुक्त Nos.7,8 और 9 के इशारे और उकसावे पर हुई थी।"

बी.

2. अनुसंधान पूरी होने पर, एक आरोप पत्र दायर किया गया और सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148,302/149 और 302 के तहत आरोप तय किए गए।अभियुक्त Nos.7 से 9 तक को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302/109 के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा। मुकदमे के दौरान आरोपी नंबर 4 राहुल अमीन फरार हो गया।अभियुक्त नं. 1, अब्दुल है, की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई/कथित रूप से उसकी हत्या कर दी गई।मुकदमा पूरा होने पर सत्र न्यायाधीश, मोरीगांव ने पाया कि आरोपी नंबर 1 मुख्य अपराधी था जिसने मृतक केरामत अली की हत्या की थी। निचली अदालत ने यह भी पाया कि आरोपी Nos.5 और 6 का अपराध भी उचित संदेह से परे साबित किया गया था।

सी.

डी.

3. दोषी ठहराए गए अभियुक्त ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील दायर की और असम राज्य ने भी बरी किए गए अभियुक्त के खिलाफ अपील दायर की।दोषी अभियुक्त की अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसके खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका ('एसएलपी') को भी खारिज कर दिया गया था और इस प्रकार, उस मामले को अंतिम रूप दिया गया था।

4. दिनांकित 12.2.2009 विवादित निर्णय राज्य की अपील से संबंधित है और पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को उलट दिया है।

ई.

5. अभियुक्त नं. 9, समसुल हक ने सी. आर. एल. दायर किया है। अपील No.1905 2009, जबकि अब्दुल राशिद (आरोपी नंबर 2) और इमदादुल इस्लाम (आरोपी नंबर 3) ने सीआरएल दायर किया। अपील No.246/2011 करें।ये तीन आरोपी हैं जो हमारे सामने हैं।

एफ.

6. हमने श्री आर. के. दास, आरोपी नंबर 9 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री बिजन घोष, आरोपी नंबर 1 और 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता

, श्री देबोजीत बोरकाकाटी को सुना है, जिन्होंने हमें हमारे सामने रिकॉर्ड के माध्यम से ले जाया।हमने निचली अदालत के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

जी.

7. हम सबसे पहले अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों से उनके मामले को साबित करने के लिए निपटेंगे।चार गवाहों को घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था।, ताहिर अली (पीडब्लू-1); नजरुल इस्लाम (पीडब्लू-1)3), जो मृतक और सूचना देने वाले का बेटा है; सोरहाब अली (पीडब्लू-ए)

एच.

235

समसल हक बनाम असम राज्य [संजय किशन कौल, जे.] ए.

4), मृतक का भाई; मृतक के बड़े भाई का बेटा मोजाम्मिल हुसैन (पीडब्लू-6)।जबकि तीन गवाह रिश्तेदार हैं, पीडब्लू-1 एक स्वतंत्र गवाह है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि होटल के मालिक श्री दिलीप मोदक या घटना स्थल पर मौजूद किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी।श्री सोमनाथ बोरा, आई. ओ. को पी. डब्ल्यू-7 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह, यानी सिराज अली (डी. डब्ल्यू.-1) से पूछताछ की, जो अभियोजन पक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त घटना के स्थान पर था।

बी.

8. अभियुक्त नं. 9 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी ने स्वयं शिकायत में एक बहुत ही अस्पष्ट बयान दिया है कि उक्त अभियुक्त और दो अन्य लोगों के कहने और उकसावे पर घटना हुई थी।इन तीनों अभियुक्तों के इशारे और उकसावे पर यह कैसे हुआ, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा गया।

सी.

9. उनके निवेदन का दूसरा अंग यह था कि तीन गवाह, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 इच्छुक थे और विरोधी गवाह थे क्योंकि पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 के बेटे पीडब्लू-3 को मुख्य आरोपी, आरोपी नंबर 1, अब्दुल है की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। इन तीन गवाहों की गवाही को अतिशयोक्ति, अलंकरण और विसंगतियों से भरा बताया गया था।इस ओर से एक महत्वपूर्ण पहलू इस बात पर जोर दिया गया है कि शिकायत में पीडब्लू-3 द्वारा दिया गया संस्करण, जैसा कि प्राथमिकी में दर्ज किया गया है, उस घटना के विवरण से भिन्न है जब उक्त गवाह ने गवाह बॉक्स में प्रवेश किया था।इस प्रकार, जबकि शिकायत में एक ओर यह आरोप लगाया गया था कि यह घटना अपीलार्थी और दो अन्य अभियुक्तों के आग्रह और

उकसावे पर हुई थी, अदालत के समक्ष गवाही में कहा गया है कि इन तीन व्यक्तियों ने दूसरे अभियुक्त को अपने पिता, मृतक को पकड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद आरोपी अब्दुल राशिद, जो आरोपी नंबर 2 है, ने मृतक पर पिस्तौल से गोली चलाई, जबकि आरोपी नंबर 1 ने उसकी छाती, हाथों और पैरों में तलवार से वार किया।पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 की गवाही में कहा गया है कि आरोपी नंबर 9 और दो अन्य लोगों ने अन्य साथियों को मृतक को मारने के लिए कहा।

डी.

ई.

एफ.

10. उपरोक्त गवाही, जिसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था, को एकमात्र स्वतंत्र गवाह, यानी पीडब्लू-1 की गवाही के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जिसने अपीलार्थी को अपराध में शामिल नहीं किया था।वास्तव में, अपनी गवाही में उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि उन्होंने आरोपी नंबर 8 और आरोपी नंबर 9 को होटल के अंदर या बाहर नहीं देखा।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि शिकायत को पढ़ने से, जिसके परिणामस्वरूप एफ. आई. आर. होगी, यह पता चलेगा कि अपीलार्थी घटना स्थल पर नहीं आया था।

जी.

एच.

दूसरों के साथ।अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना स्थल पर मौजूद डी. डब्ल्यू.-1 ने कहा कि आरोपी नंबर 1 और दो अन्य लोगों ने अपराध किया, लेकिन उसने घटना स्थल पर मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था।वास्तव में, अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त गवाह से जिरह में यह सुझाव दिया गया था कि आरोपी संख्या 7 ने मृतक पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था।

बी.

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रस्तुत करने का तीसरा अंग अभियुक्त संख्या 9 के बयान पर आधारित है, जो Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि पूछे गए प्रश्नों ने वास्तव में अभियोजन पक्ष के मामले को अभियुक्त के सामने नहीं रखा जैसा कि अनिवार्य था।उक्त कथन में केवल दो प्रश्न रखे गए थे, जो इस प्रकार हैं:

सी.

“प्रश्नः पी. डब्ल्यू. 4 सोहराब अली ने सबूत में कहा है कि सुबह लगभग 7 बजे आपने कहा, "केरामत अली को मार डालो।" आपका क्या जवाब है?जवाबः मैं घटना स्थल पर नहीं था। मेरा घर वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है।

डी.

प्रश्नः पीडब्लू6 ने कहा है कि आपने दूसरे आरोपी को केरामत को मारने के लिए कहा था।आप क्या कहते हैं?

जवाबः नहीं, मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।शिकायतकर्ता द्वारा जमीन का एक भूखंड खरीदने पर एक दीवानी मुकदमा लंबित है।मैं बिक्री विलेख (निष्पादन) का एक गवाह था। उस दुर्भावना के कारण उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया।”

ई.

12. इस प्रकार, पीडब्लू-3 का मामला भी अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया था।13. उपरोक्त संदर्भ में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उल्लेख किया है

एफ.

शरद बर्दीचंद सारदा बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए

महाराष्ट्र 1 ने तर्क दिया कि यदि अभियुक्त के बयान में Cr.P.C की धारा 313 के तहत परिस्थितियों को नहीं रखा गया है, तो उन्हें विचार से पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त के पास उन्हें समझाने का कोई मौका नहीं था।इसे हेट सिंह भगत के मामले में 1953 से शुरू होने वाले इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण कहा जाता है।

जी.

सिंह बनाम मध्य भारत राज्य **2.**विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी

1 (1984) 4 एससीसी 116 2 एआईआर 1953 एससी 468 3 (2013) 12 एससीसी 406 ए

एच.

237

समसल हक बनाम असम राज्य [संजय किशन कौल, जे.] ए.

सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य **3** में निर्णय के लिए संदर्भित

यह प्रस्ताव कि आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों की जाँच करने का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा करना है।इस प्रकार, अभियुक्त को

उसके खिलाफ सामने आई आपत्तिजनक सामग्री को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो Cr.P.C की धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच में नहीं रखी गई हैं।

बी.

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रस्तुत करने का चौथा अंग निचली अदालत द्वारा अभियुक्त संख्या 9 के बरी होने और अपील में बरी होने के फैसले को उलटने पर दोषसिद्धि से उत्पन्न हुआ।इस प्रकार, याचिका यह थी कि इस तरह के उलटने के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि निचली अदालत के दृष्टिकोण का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि विचार ऐसे न हों जो विकृत या अन्यथा अस्थिर हों।आम तौर पर, बरी किए जाने के फैसले को, जहां दो विचार संभव हैं, दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अपीलीय न्यायालय द्वारा गठित विचार अधिक संभावित हो।

सी.

डी.

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का अंतिम निवेदन, संभवतः इसलिए कि यह सबसे कमजोर है, यह था कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तहत सामान्य इरादे के तत्व और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 107 के तहत उकसाना अलग और अलग हैं।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 में प्रतिपादित रचनात्मक दायित्व का सिद्धांत भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 107 के विपरीत एक ठोस अपराध नहीं बनाता है, जो एक स्वतंत्र अपराध है।इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 109 (भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 107 के लिए सजा का प्रावधान) के साथ आरोपित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तहत मुख्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस याचिका को आगे बढ़ाने के लिए,

ई.

बाबू बनाम तमिलनाडु राज्य **5** पर निर्भरता रखी गई थी।हालांकि**,** इसमें

एफ.

उस मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया था न कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 109 के तहत। इस प्रकार, उस निर्णय में की गई टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 109 के तहत सजा के साथ धारा 107 के अनुसार मूल अपराध एक ऐसा पहलू नहीं था जिसके लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया था।वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स इसके विपरीत है जहां याचिका यह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा

34 के तहत कोई आरोप नहीं है, लेकिन धारा 109 के तहत उकसाने का आरोप लगाया गया है।

जी.

4 सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता (डॉ.) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 13 एससीसी 657 5 (2013) 8 एससीसी 60

एच.

16. उपरोक्त अंतिम याचिका पर इस स्तर पर ही विचार किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए यह मुद्दा अब समग्र नहीं है।

उड़ीसा राज्य बनाम अर्जुन दास अग्रवाल और अन्र। **6** राय है कि तय किया गया

कानून की स्थिति यह है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 एक अलग अपराध नहीं बनाती है और यह अभियुक्त की भागीदारी से है कि अपराध करने का इरादा तब साबित होता है जब भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 आकर्षित होती है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से किसी व्यक्ति को शामिल करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों की वास्तविक भागीदारी से किया गया था और यह कार्य पूर्व संगीत कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।

बी.

सी.

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता की अंतिम याचिका को केवल खारिज कर दिया गया है।

18. अभियुक्त संख्या 9 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पहले की गई दलीलों की जांच करने पर, हम उनमें योग्यता पाते हैं।

19. पीडब्लू-3 ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटना आरोपी नंबर 9 के साथ आरोपी Nos.7 और 8.

डी.

20. हालाँकि, उनके बयान में कहा गया है कि इन व्यक्तियों ने अन्य अभियुक्तों को मृतक को पकड़ने के लिए कहा था।हमारे विचार में, यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।इसी तरह, इन तीन व्यक्तियों ने जो कहा, उसके बीच कुछ अंतर है, जैसा कि पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 की गवाही से भी उपलब्ध है।हालांकि, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पीडब्लू-1, एकमात्र स्वतंत्र गवाह, आरोपी नंबर 9 को फंसाता भी नहीं है, उसे कोई भूमिका भी नहीं देता है।उसने कहा है कि उसने आरोपी नंबर 9 को देखा भी नहीं था, भले ही वह वह व्यक्ति था जो घटना स्थल पर था।डी. डब्ल्यू.-1, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था, हालांकि कहा गया था कि वह घटना स्थल पर मौजूद था, बचाव पक्ष द्वारा जांच की गई और मुख्य आरोपी (आरोपी संख्या 1) और अन्य के खिलाफ गवाही दी गई, जबकि आरोपी संख्या 9 को उपस्थिति का तथ्य भी नहीं सौंपा गया। दिलचस्प बात यह है कि जब अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाह से जिरह करने की मांग की, तब भी अभियोजन पक्ष के मामले को इस तरह रखा गया जैसे कि केवल आरोपी संख्या 7 ने अन्य आरोपी व्यक्तियों को मृतक पर हमला करने का आदेश दिया हो।यदि अभियुक्त संख्या 9 ने कोई भूमिका निभाई होती, तो अभियोजन पक्ष द्वारा इसे तार्किक रूप से डी. डब्ल्यू.-1 के समक्ष रखा जाता।

ई.

एफ.

जी.

6 ए. आई. आर 1999 एस. सी. 3229 ए

एच.

239

समसल हक बनाम असम राज्य [संजय किशन कौल, जे.] ए.

21. सबसे महत्वपूर्ण पहलू, हमारे विचार में, और जो अभियोजन पक्ष के मामले में ताबूत में कील चलाता है, वह है जिस तरह से अदालत ने मामले को आरोपी संख्या 9 के सामने रखा, और Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान। कम से कम कहने के लिए यह अनुचित है।

22. यह कहना ठीक नहीं है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त के सामने दोषारोपण करने वाली सामग्री रखी जानी चाहिए ताकि अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित मौका मिल सके।यह ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों की मान्यता में है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित निर्णयों के अलावा, हम

उपयोगी रूप से असरफ अली बनाम असम राज्य 7 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नलिखित अनुच्छेदों में हैं:

बी.

सी.

"21. संहिता की धारा 313 न्यायालय पर एक कर्तव्य डालती है कि वह अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूछताछ या परीक्षण प्रश्न पूछे।यह आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है और ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के समान है जो मुकदमे को दूषित करती है, यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रस्त था।22. संहिता की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है।यदि साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ एक बिंदु महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि उसी पर आधारित होने का इरादा है, तो यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए।जहां विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में किसी दोषारोपण सामग्री पर कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया है, वह विचारण को दूषित कर देगा। बेशक, ये सभी इस बात पर निर्भर हैं कि क्या वे न्याय की विफलता या पूर्वाग्रह का कारण बने हैं।इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (संहिता की धारा 313 के अनुरूप) की धारा 342 पर विचार करते हुए एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2140) में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया।विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके प्रासंगिक पहलुओं में दोषारोपण सामग्री का गैर-संकेत अभियुक्त की भेद्यता को बढ़ाता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

7 (2008) 16 एससीसी 328

एच.

अभियोजन मामला।धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना एक उद्देश्यहीन अभ्यास नहीं है।”

23. उपरोक्त टिप्पणियां करते समय, इस न्यायालय ने शिवाजी में तीन न्यायाधीशों की पीठ के अपने पहले के फैसले का भी उल्लेख किया

सहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य **8,** जिसने पतन पर विचार किया

बी.

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ उपस्थित होने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर अभियुक्त से प्रश्न पूछने में चूक, और यह आवश्यकता कि अभियुक्त का ध्यान प्रत्येक दोषपूर्ण सामग्री की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि वह इसे समझाने में सक्षम हो सके।आम तौर पर, ऐसी स्थिति में, ऐसी सामग्री जो अभियुक्त के सामने नहीं रखी जाती है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह माना जाता है कि जहां आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत एक निष्पक्ष परीक्षा होती है, वहां मामला निचली अदालत को प्रेषित करने में सक्षम है, जिसमें उस चरण से फिर से प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है जिस पर अभियोजन पक्ष को बंद कर दिया गया था।

सी.

24. हालाँकि, हम इस मामले की दी गई परिस्थितियों में उस मार्ग का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि गवाही में विसंगतियाँ भी अभियोजन पक्ष के मामले में आरोपी संख्या 9 की किसी भी भूमिका के बारे में संदेह पैदा करती हैं।उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स होने के कारण, अपीलीय अदालत शायद ही निचली अदालत के बरी होने के फैसले को दोषसिद्धि में बदल सकती थी।निचली अदालत ने मृतक के साथ पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 के घनिष्ठ संबंधों के साथ-साथ आरोपी की श्रृंखला और आरोपी नंबर 1 की हत्या पर भी ध्यान दिया, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि आरोपी नंबर 9 को उकसाना, जैसा कि आरोप लगाया गया था, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ था।वास्तव में, यह राय दी जाती है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उक्त आरोपी घटना के समय कालिया होटल के अंदर या बाहर था।परिस्थितियों को देखते हुए, जबकि विवादित निर्णय में बताए गए कानूनी प्रस्ताव से असहमत नहीं हैं, कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिस पर रिश्तेदारों के साक्ष्य पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन अतिरिक्त सावधानी और सावधानी के साथ, पीडब्लू-1 और डीडब्ल्यू-1 के रूप में उदासीन गवाहों की उपस्थिति एक और कहानी से संबंधित है।आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष कि वादी के रूप में पीडब्लू-3 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में, घटना की तारीख को ही, सभी अभियुक्तों की भागीदारी का उल्लेख करते हुए, जैसा कि स्पष्ट रूप से कहा गया है, प्राथमिकी में जो कहा गया था और अदालत में उसकी गवाही के रूप में पीडब्लू-3 के मुंह से जो आया था, उसके बीच सुधार और अलंकरण के कारण फिर से कायम नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8 (1973) 2 एस. सी. सी. 793

एच.

9 शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)

ए.

25. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष आरोपी संख्या 9 के खिलाफ मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं है, जो उचित संदेह से बहुत कम है।

26. अब, अभियुक्त Nos.2 और 3 के मामले की ओर मुड़ते हुए, जो अभी भी हिरासत में हैं, अभियुक्त संख्या 9 के विपरीत, जिसे इस न्यायालय द्वारा जमानत पर बढ़ा दिया गया है।

बी.

27. विद्वान अधिवक्ता ने आरोपी नंबर 9 की ओर से दी गई दलीलों को अपनाने की मांग की, लेकिन तब इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि आरोपी नंबर 9 का मामला आरोपी नंबर 1 और नंबर 1 के खिलाफ मामले से काफी अलग है।3.

सी.

28. निचली अदालत के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि इन दोनों अभियुक्तों को बरी करने में यह तथ्य महत्वपूर्ण रहा है कि मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर (पीडब्लू-5) की गवाही में कई चोटें पाई गईं, जो नुकीली नुकीली वस्तुओं से लगी थीं।जिरह में अभियोजन साक्षी- ने विशेष रूप से कहा है कि कोई भी चोट बंदूक की गोली से नहीं लगी है।इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य खंजर और तलवार के उपयोग का सुझाव देते हैं।लोक अभियोजक की दलील थी कि इन दोनों अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक (उन्हें सौंपी गई भूमिका के अनुसार) का इस्तेमाल केवल व्यक्तियों को डराने के लिए किया गया होगा। हालांकि, कोई हथियार जब्त नहीं किया गया है।मुख्य अपराधी अभियुक्त नं. 1 की बाद में हत्या कर दी गई और वर्तमान मामले में संबंधित गवाह अभियुक्त हैं।पीडब्लू-6 ने भी बंदूक की गोलीबारी नहीं देखी, हालांकि वह बंदूक की गोलियों को सुनने का दावा करता है, हालांकि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 का कहना है कि उन्होंने गोलीबारी देखी थी।विसंगति यह

है कि सभी आरोपी एक साथ खड़े थे।29. अदालत द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कि क्या घटनास्थल पर गोलियों या गोलियों के निशान पाए गए थे, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से नकारात्मक में कहा।

डी.

ई.

एफ.

30. इस प्रकार, जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या बरी करने के आदेश को उलटने के लिए आवश्यक मापदंडों के भीतर, वर्तमान मामले में आवश्यक को पूरा किया जाता है।

जी.

31. विवादित निर्णय, एक बार फिर, संबंधित गवाहों की गवाही पर भरोसा रखने वाले तर्क पर आधारित है।कुछ सावधानी के साथ इसका इलाज करने का कारण हमारे द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।पीडब्लू-6 की गवाही, कि उसने बंदूक चलाते हुए देखा, लेकिन यह पता नहीं लगा सका कि मृतक को गोली लगी है या नहीं

एच.

इसे ध्यान में रखा गया, लेकिन, चश्मदीद गवाहों की समग्र गवाही के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष और गवाहों द्वारा दी गई कहानी को उच्च न्यायालय द्वारा विश्वसनीय पाया गया। हालाँकि, यह कहानी निचली अदालत द्वारा उल्लिखित उपरोक्त पहलुओं से संबंधित नहीं है, अर्थात, कोई गोली की चोट नहीं, हथियार बरामद नहीं किया जा रहा है, घटना स्थल पर कोई गोली या गोली के निशान नहीं पाए गए हैं और गवाहों की गवाही में विसंगतियाँ हैं। निचली अदालत ने ठीक ही कहा कि यह आरोपी नंबर 1 था जो मुख्य आरोपी था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी।32. हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ तक अभियुक्त संख्या 2 के बयान का संबंध है, Cr.P.C की धारा 313 के तहत, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 की गवाही उसे दी गई है, लेकिन उक्त अभियुक्त ने घटना स्थल से अनुपस्थित होने का दावा किया है।जहाँ तक अभियुक्त संख्या 3 का संबंध है, एक बार फिर तीनों चश्मदीद गवाहों की गवाही उसके सामने रखी गई है, लेकिन उसे सौंपी जाने वाली भूमिका को खंजर से मारा गया बताया गया है, न कि अभियुक्त पर गोली चलाने की भूमिका जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है।

बी.

सी.

डी.

33. हालाँकि, बाद की गवाही ने एफ़. आई. आर. में दी गई भूमिका से अलग भूमिका निर्धारित करने की मांग की, जिससे एक विसंगति पैदा हुई।निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, कम से कम, एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, हालांकि यह एकमात्र प्रशंसनीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता है या यदि कोई कम संभावित भी कह सकता है।

ई.

34. इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं है, और उन्हें संदेह का लाभ मिलना चाहिए और परिणामस्वरूप उन्हें बरी करना होगा।

35. उपरोक्त निष्कर्षों का परिणाम यह है कि आरोपी नंबर 9, समसुल हक, बरी होने का हकदार है।वह पहले से ही जमानत पर है और इस प्रकार, जमानत बांड मुक्त हो जाते हैं। अब्दुल राशिद और इमदादुल इस्लाम, आरोपी क्रमशः Nos.2 और 3, संदेह के लाभ के हकदार हैं और परिणामस्वरूप बरी हो जाते हैं।उक्त अभियुक्त को तुरंत रिहा किया जा सकता है।36. तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना पड़ता है।

एफ.

जी.

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

एच.